126

झारखण्ड सरकार
विधि विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, धूर्वा, राँची–834004

आदेश संख्या–झा0–विधि–अभि0–स्वी0–27/2017– 27/जे0 राँची, दिनांक–13 जून, 2017

–:: आदेश ::–

चूँकि, प्रधान सचिव, विधि विभाग, को सम्बोधित **जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची** की संचिका संख्या–**08/ज0स0(नि0)–ग्रा0–08–10/2017** एवं उसमें उपलब्ध कागजात, औपचारिक प्राथमिकी, प्रथम सूचना रिपोर्ट, कांड दैनिकी पर साक्षियों के साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्यों एवं पर्यवेक्षण टिप्पणी तथा अभिलेखों के परिशीलन के बाद राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि **चाईबासा सदर थाना कांड संख्या–43/2016 दिनांक–22.06.2016** के अभियुक्त **श्री शशि प्रकाश, तत्कालीन सहायक अभियंता, जिला परिषद्, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा, पिता–स्व0 ब्रजनन्दन प्रसाद, स्थायी पता–धीवर, पो0–चकनवादा, थाना–पंडारक, जिला–पटना (बिहार)** के विरूद्व भारतीय दंड संहिता (1860 के अधिनियम संख्या–45) की धारा–**409, 467, 468, 471 एवं 34** के उपबंधों के अधीन अभियोजन के लिए प्रथम द्रष्ट्या मामला बनता है;

और चूँकि, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की अधिनियम संख्या–2) की धारा–**197(1)** के उपबंधों के अधीन कोई भी न्यायालय, किसी ऐसे लोक सेवक के विरूद्व, जो सरकार की मंजूरी से ही अपने पद से हटाया जा सकता है, किसी ऐसे अपराध का, जो इसके द्वारा अपने पदीय–कर्त्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए किया गया अभिकथित हो, बिना स्वीकृत्यादेश के संज्ञान नहीं ले सकता है;

और चूँकि, **श्री शशि प्रकाश, तत्कालीन सहायक अभियंता, जिला परिषद्, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा, पिता–स्व0 ब्रजनन्दन प्रसाद, स्थायी पता–धीवर, पो0–चकनवादा, थाना–पंडारक, जिला–पटना (बिहार)** ऐसे लोक सेवक हैं, जो सरकार की मंजूरी पर ही सेवा से हटाये जा सकते हैं, और यह अभिकथित है कि उन्होंने यह अपराध अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए किया है;

और, अब, इसलिए झारखंड राज्य सरकार एतद् द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 के अधिनियम संख्या–2) की धारा–**197(1)** में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दंड संहिता (1860 के अधिनियम संख्या–45) की धारा–**409, 467, 468, 471 एवं 34** के उपबंधों के अधीन अपराधों के लिए उनके विरूद्व अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

17/6/17

(दिनेश कुमार सिंह)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।

P.T.O.

ज्ञापांक : 08/ज०सं०(नि०) ग्रा०–08–10/2017 /राँची, दिनांक : ....

प्रतिलिपि : उपायुक्त –सह–जिलादण्डाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक–247 दिनांक– 07.04.2017 के क्रम में/पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

3103

ज्ञापांक : 08/ज०सं०(नि०) ग्रा०–08–10/2017 /राँची, दिनांक : 12-07-17

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.7.17

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव